न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली(जिला पाली,राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 90/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/531

अपीलाण्ट

मृतक हरीराम पुत्र श्री चिमनरामजी जाति पुरोहित निवासी बारवा, तहसील बाली, जिला पाली राज. के विधिक उत्तराधिकारी एवं वसीयतग्रहिता प्रवीण कुमार पुत्र श्री हरीराम जाति पुरोहित निवासी बारवा, तहसील बाली, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बखिलाफ तहसीलदार बाली द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.11.2024

मृतक श्री हरीराम पुत्र चिमनराम जाति पुरोहित निवासी बारवा, तहसील बाली, के विधिक उत्तराधिकारी एवं वसीयतग्रहिता प्रवीण कुमार पुत्र श्री हरीराम जाति पुरोहित निवासी बारवा, तहसील बाली जिला पाली राज. ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तहसीलदार बाली द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की।

अपील अनुसार सरहम मौजा रमणिया तहसील बाली के राजस्व भूमि खसरा 102 रकबा 0.14 हैक्टर किस्म "गैर मुमकिन वाला" आया हुआ विद्यमान हैं। जिससे राज्य सरकार के उप जिलाधीश महोदय, बाली के पत्र क्रमांक 80/2163–65 दिनांक 02.12.1987 को व तहसीलदार बाली के पत्र क्रमांक 88/2435/10.06.1988 के क्रम में खसरा नम्बर 102 में 05 बिस्वा भूमि कुआं हेतु 10 वर्ष के लिए अपीलाण्ट को आवटंन किये जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 07 दिनांक 30.04.1989 को स्वीकृत कर प्रार्थी स्व. हरिराम के नाम 10 वर्ष अवधि के लिए खसरा नम्बर 102 में से खसरा नम्बर 102 मीन रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा का आवंटन किया गया, जो खसरा नम्बर 102 पुराने खसरा नम्बर 28 मीन से बनाये गये है तथा बाद नामान्तरकरण के स्व. हरिराम के नाम गैर खातेदारी अधिकार देते हुए खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.04 एयर किस्म गैर मुमकिन बेरा दर्ज थे, गैर खातेदारी अधिकार दिये गये। उक्त हरिराम का स्वर्गवास दिनांक 30.09.2021 को हो गया तथा श्री हरिराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.03.2018 को खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.04 एयर किस्म गैर मुमकीन बेरा को प्रवीण कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति पुरोहित निवासी बारवा के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत किया तथा मृत्यू दिनांक 30.09.2021 को स्व. हरिराम द्वारा निष्पादित वसीयत दस्तावेज दिनांक 15.03.2018 प्रभावी हुआ। यह कि रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर खातेदार के स्थान पर लीज होल्डर दर्ज किया गया। उक्त शुद्धि पत्र की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 26.07.2024 को उस समय हुई जब अपीलाण्ट ने हल्का पटवारी गुड़ालास से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे तहसीलदार बाली द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के आदेश क्रमांक 441 दिनांक 29.10.2021 की पालना में लैण्ड होल्डर तहसीलदार बाली द्वारा शुद्धि पत्र की पालना में लीज होल्डर दर्ज किया गया। जिस आदेश दिनांक 29.10.2021 से व्यथित एवं व्याकुल होकर इस आधार पर प्रस्तुत की है

RTO

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 90/2024
सुनवान : मृतक हरीराम के का.मु. प्रवीण कुमार बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

कि रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा आदेश 441 दिनांक 29.10.2021 पारित कर अभिलेख में शुद्धि पत्र के जरिये गैर खातेदार के स्थान पर लीज होल्डर अंकित किये जाने में कानूनी एवं वाक्याती गलती की जिससे कि अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृत हैं। यह कि, तहसीलदार बाली के आदेश 441 दिनांक 29.10.2021 को पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट गैर खातेदार को न तो सुना गया न ही सुनवाई का अवसर दिया गया जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट को जरिये नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 07.03.1989 के आदेश दिनांक 02.12.1987 , 10.06.1988 की पालना में गैर खातेदारी दी गई व गैर खातेदार 10 वर्ष तक दिये जाने के पश्चात व अपीलाण्ट का वक्त आवंटन से लगातार नियमित व रेस्पोडेण्ट की जानकारी में होते हुए कब्जा गैर मुमकिन बेरा पर होते हुए अपीलाण्ट को 10 वर्ष की समयावधि के बाद गैर खातेदार से खातेदार के रुप में खातेदारी दी जानी चाहिए थी, जैसा न कर अधीनस्थ तहसीलदार बाली ने कानूनी एवं वाक्याती गलती की जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति हैं। भूमिधारी तहसीलदार बाली द्वारा जब अपीलाण्ट के हक में जब लीजनामा ही निष्पादित कर पंजीबद्ध नहीं करवाया है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के नाम के आगे ली होल्डर अंकित किया जाना विधिसम्मत नहीं था जबकि कानूनन दिनांक 29.10.2021 को शुद्धि पत्र में तहसीलदार बाली द्वारा आदेश पारित करने से पहले अपीलांट खातेदार कानूनन बना हुआ था। फिर भी अपीलाण्ट को नहीं सुना गया। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व बाले–बाले शुद्धि पत्र को आदेश जारी कर राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज कर दिया। जैसा करने का भूमिधारक को अधिकार नहीं होने से शुद्धि पत्र के नाम से की गई तमाम कार्यवाही कानून की भार में शुन्य थी, शुन्य है व शुन्य रहेगी। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेण्ट का आदेश 441 दिनांक 29.10.2021 जो प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में पारित आदेश को निरस्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये। पत्रावली पर शुद्धि पत्र दिनांक 29.10.2021 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने से मूल आदेश को अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार बाली द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पारित जैर–निगरानी आदेश क्रमांक/441 दिनांक 29.10.2021 एवं उसकी पालना में खोले गए नामान्तरकरण को खारिज किया जावे। रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व. श्री हरीराम को प्रश्नगत भूमि, सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं/टुयबवेल खुदवाने हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन आदेश दिनांक 02.12.1987 की पालना में मूल आवंटी को लीजडीड निष्पादित करवानी थी जो आदिनांक निष्पादित नहीं की गई एवं राजस्व कर्मियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में लीज होल्डर के स्थान पर "गैर खातेदार" दर्ज किया गया। उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान जरिये शुद्धिपत्र आदेश क्रमांक 441/दिनांक 29.10.2021 द्वारा वादग्रस्त भूमि में "गैर खातेदार दिनांक 02.12.1987 से दस साल तक" के स्थान पर "लीज होल्डर" दर्ज किया गया। अतः अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जाए।

उभयपक्षकारान की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं विवेचन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा देरीना नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत करने पर म्याद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र delay अवधि के उपशमन हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली है। समयावधि जैसे तकनीकी बिन्दु पर नामान्तरकरण अपील को खारिज करना न्यायोचित नहीं है ऐसा न्यायालय का विनम्र अभिमत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर delay को Condon किया जाता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभयपक्षारन् की बहस से प्रथमतः एक निर्विवाद सत्य यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि ख.न.102/1 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु. बेरा, मौजा रमणिया अपीलाण्ट के पिता स्व.हरिराम को सिंचाई प्रयोजनार्थ (10 वर्ष के लिए) आवंटित किया गया

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 90/2024

उनवान : मृतक हरीराम के का.मु. प्रवीण कुमार बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

था। उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्व. श्री हरिराम के पक्ष में गैर खातेदार के रुप में खोला गया एवं मूल आवंटी द्वारा की गई वसीयत के आधार पर उनके पुत्र अथवा अपीलाण्ट खातेदारी की मांग के साथ यह अपील प्रस्तुत की हैं।

The Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for digging of wells and installing of pump sets for irrigation purposes) Rules, 1979 के नियम 7(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि "आवंटित भूमि लीज पर प्रदान की जाएगी"। नियम 8 में उल्लेखित है कि आवंटी लीजडीड का सम्पादन करवायेगा।

हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन उपरांत प्रश्नगत भूमि में आवंटी एवं अपीलाण्ट के पिता स्व. हरिराम के पक्ष में "लीज होल्डर" के स्थान पर "गैर खातेदार" राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह राजस्व कार्मिकों की भूल थी, क्योंकि उपरोक्त नियम 1979 में उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि में आवंटी की हैसीयत केवल मात्र लीज होल्डर के रुप में उपबंधित है न कि गैर खातेदार एवं खातेदार के रुप में। नियम 1979 में आवंटित भूमि हस्तान्तरणीय भी नहीं होती है अपितु निर्धारित समयावधि उपरान्त लीज डीड के नवीनीकरण का प्रावधान है।

यह भी प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अपील के पैरा न. 4 में अपीलाण्ट ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि की लीजडीड कभी भी निष्पादित एवं पंजीबद्ध नहीं करवाई गई। अर्थात राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई अवैधानिक त्रुटि का नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि में गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है, जो कि उपरोक्त नियम 1979 में अनुमत नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली द्वारा जैर निगरानी आदेश क्रमांक 441 दिनांक 29.10.2021 जरिये शुद्धिपत्र गैर खातेदारी से पुन लीज होल्डर दर्ज करना पूर्णतः वैधानिक एवं कानून सम्मत था।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। **साथ ही, चूंकि प्रश्नगत भूमि ख.न. 102/1 रकबा 0.04 हैक्टर मौजा रमणिया का सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने हेतु आवंटन होने के उपरांत आवंटी अथवा अपीलाण्ट द्वारा आदिनांक लीज डीड का निष्पादन नहीं करवाया गया है, अतः तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि एक माह के भीतर उपरोक्त भूमि का प्रकरण तैयार कर जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें, एवं सक्षम प्राधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर पाली द्वारा आवंटन खारिज करवाने हेतु पैरवी करें।**

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला–पाली

Scanned with OKEN Scanner